भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2367

(दिनांक 12.03.2026 को उत्तर देने के लिए)

पेंशन अदालत

2367 # डॉ. दिनेश शर्मा:

डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

श्री मदन राठौड़:

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

डॉ. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

श्री दीपक प्रकाश:

श्रीमती सीमा द्विवेदी:

*क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और राजस्थान के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी अदालतों के माध्यम से उठाई गई और निस्तारित पेंशन संबंधी शिकायतों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या ऐसी अदालतों के आयोजन के लिए ऑनलाइन या हाइब्रिड माध्यम अपनाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के पेंशनभोगियों की शिकायतों के संबंध में दिनांक 06.03.2026 तक, 15 पेंशन अदालतें आयोजित की हैं, जिनमें सीपेनग्राम्स पोर्टल से काफी समय से लंबित पड़ी 27,812 शिकायतों को चुना गया और इस प्रभावी पहल द्वारा 19,948 शिकायतों का ऑन-द-स्पाट सफलतापूर्वक समाधान किया गया। बाद में, शेष शिकायतों का भी समाधान किया गया या फॉलो-अप बैठकों तथा मॉनिटरिंग द्वारा निस्तारित किया गया। इन पेंशन अदालतों को हाइब्रिड मोड अर्थात फिजीकल और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित किया जाता है, ताकि पेंशनभोगी इनमें भाग ले सकें और अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सके, जिससे उनकी शिकायत का समय पर और प्रभावी निवारण किया जा सके।
